अंडमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

संघ राज्य क्षेत्र अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के लिए निजी सुरक्षा एजेंसी नियमावली के लिए मसौदा

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक // नवम्बर, 2009

फा. सं. 45–230/2005 गृह – निजी सुरक्षा (विनियम) अधिनियम, 2005 की धारा 25 के साथ पठित उसी की धारा 2 की उप धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप राज्यपाल (प्रशासक), अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्द्वारा अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह निजी सुरक्षा एजेंसी नियमावली, 2009 का मसौदा आम जनता से सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया जाता है । सुझाव सहायक सचिव (गृह), सचिवालय, पोर्ट ब्लेयर के पास 30 दिनों के भीतर भेजें ।

1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ :–

1) इन नियमावली को अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह निजी सुरक्षा एजेंसी नियमावली, 2009 कहा जा सकेगा ।

2) ये नियम इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएँ – इन नियमों में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ;

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियम) अधिनियम, 2005 ;

(ख) "एजेंसी" से अभिप्रेत है निजी सुरक्षा एजेंसी ;

(ग) "नियंत्रक प्राधिकारी" से अभिप्रेत है अधिनियम के अन्तर्गत घोषित "नियंत्रक प्राधिकारी"

(घ) "फार्म" से अभिप्रेत है इन नियमों के साथ संलग्न फार्म ;

(ङ) "लाइसेंस" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अन्तर्गत अनुमोदित लाइसेंस ।

(च) इन विनियमों में शब्द और अभिव्यक्तियाँ परिभाषित नहीं की गई है लेकिन इसे अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का अर्थ समान होगा जैसा कि क्रमशः अधिनियम में उसके लिए निर्धारित किया गया है ।

(ग) जिला पुलिस अधीक्षक अथवा इसके समतुल्य या उच्च रैंक के अधिकारी के प्राधिकार में हस्ताक्षरित पुलिस प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट पर विश्वास करके ।

(घ) व्यक्ति जो सुरक्षा गार्ड अथवा पर्यवेक्षक के रूप में रोजगार पाने के इच्छुक है, एजेंसी को फार्म–II जमा करेंगे । यदि व्यक्ति पिछले पाँच वर्षों के दौरान एक जिला से अधिक जिला में ठहरा है तो जिला की संख्या के अनुसार फार्म की संख्या होगी ।

(ङ) एजेंसी भरे गए विवरण की वास्तविकता की जाँच स्वयं या संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक को फार्म भेजकर करेगा ।

(च) राज्य सरकार फार्म तथा पुलिस द्वारा चरित्र एवं पूर्ववृत्त जाँच करने की सेवा के लिए शुल्क जमा करने का तरीका निर्धारित करेगा ।

(छ) स्थान विशेष जहाँ व्यक्ति निवास कर चुकने या करने का दावा करता है तो पुलिस वहाँ का दौरा करके व्यक्ति की पहचान करेगा और चरित्र एवं पूर्ववृत्त की जाँच करेगा । इसके अतिरिक्त स्थान के प्रतिष्ठित निवासियों से उसकी पहचान और प्रतिष्ठा का पता लगाएगा । वे चरित्र एवं पूर्ववृत्त जाँच रिपोर्ट को तैयार करने से पहले संबंधित पुलिस स्टेशन के पुलिस स्टेशन रिकार्ड की जाँच तथा जिला पुलिस मुख्यालय में अन्य रिकार्डों की जाँच करेंगे । इस रिपोर्ट में चरित्र एवं पूर्ववृत्त फार्म तथा जाँच अवधि के दौरान जीवनयापन के साधन सहित उनकी गतिविधियों के बारे में सामान्य रिपोर्ट में व्यक्ति के प्रत्येक दावे पर पुलिस की टिप्पणी शामिल होगी । व्यक्ति के खिलाफ यदि किसी भी समय कोई दांडिक मामला पंजीकृत किया गया हो अथवा उसके खिलाफ किसी दण्डनीय अपराध के लिए उन्हें सजा मिली हो, पुलिस विशेषतौर पर विवरण देगा ।

(ज) यदि निजी सुरक्षा एजेंसी द्वारा जाँच के पश्चात किसी व्यक्ति को सेवा में लगाया जाता है और नियुक्त किया जाता है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न होता है, पुलिस विशेष रूप से इस पर टिप्पणी करेगा ।

(झ) पुलिस अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि चरित्र तथा पूर्ववृत्त फार्म प्राप्त होने के नब्बे दिनों के भीतर चरित्र तथा पूर्ववृत्त रिपोर्ट जारी की जाती है ।

ञ) किसी व्यक्ति के चरित्र तथा पूर्ववृत्त से संबंधित पुलिस की रिपोर्ट गोपनीय रखी जाएगी । चरित्र और पूर्ववृत्त के लिए अनुरोध करते हुए पत्र लिफाफे पर सुरक्षा एजेंसी के पदनामित अधिकारी को संबोधित करना होगा ।

ट) चरित्र और पूर्ववृत्त जाँच रिपोर्ट एक बार जारी की जाती है तो तीन वर्षों तक वैध रहेगी ।

ड) भारतीय दण्ड संहिता की प्रारंभिक जानकारी, निजी सुरक्षा, पुलिस थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया, आयुध अधिनियम (केवल प्रचालन अनुभाग) विस्फोटक अधिनियम (प्रचालन अनुभाग) ;

ढ) पुलिस तथा सैनिक बलों के रैंकों के बैज ;

त) सार्वजनिक तथा पुलिस में प्रयोग में होने वाले विभिन्न प्रकार के आयुधों की पहचान ;

थ) सुरक्षा उपस्कर तथा उपकरण का प्रयोग (उदाहरण के लिए सुरक्षा अलार्म और बचाव उपस्कर) ; और

द) नेतृत्व तथा प्रबन्धन (केवल पर्यवेक्षकों के लिए)

3) सुरक्षा गार्ड को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण में सफलतापूर्वक भाग लेना होगा । प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रत्येक सफल प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण संस्थान या संगठन द्वारा फार्म–IV में प्रशिक्षण संस्थान या संगठन द्वारा एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा ।

4) सक्षम प्राधिकारी समय–समय पर स्वयं अथवा अपने अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण करेंगे । सामान्यता ऐसे प्रशिक्षण प्रति वर्ष कम से कम दो बार आयोजित किए जाएंगे ।

5) सभी एजेंसी निर्धारित तरीके से सफल प्रशिक्षणार्थियों की सूची नियंत्रण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे ।

6. सुरक्षा गार्डों की शारीरिक स्वस्थता का मान –

1) कोई भी व्यक्ति सुरक्षा गार्ड के लिए नीचे विनिर्दिष्ट मान की पूर्ति करता है, सुरक्षा गार्ड के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा :–

(क) ऊँचाई, 160 से.मी. (महिलाओं के लिए 150 से.मी.), भार – ऊँचाई और भार सारणी के अनुसार, वक्ष 80 से.मी. तथा विस्तारण 4 से.मी. (महिलाओं के लिए अपेक्षित वक्ष माप)

(ख) दृष्टि – दूर दृष्टि 6/6, निकट दृष्टि 0.6/0.6 सुधार के साथ अथवा सुधार के बिना, वर्णान्धता से मुक्त, पहचान करने में समर्थ हो और सुरक्षा उपकरणों में सज्जित रंग की पहचान और सुरक्षा उपकरणों में प्रदर्शित अंग्रेजी वर्ण तथा अरबी अंकमाला को पढ़ना जानता हो और समझता हो ।

(ग) उम्मीदवार का (अन्तर्वक जानु) नाक नी और (सपाट पाँव) फ्लैट फूट न हों और वह छह मिनट में एक किलो मीटर दौड़ सकता हो ।

(घ) श्रवण : किसी प्रकार की त्रुटि न हो ; अलार्म सुनने और बोलने में समर्थ हो ।

9. **लाइसेंस की स्वीकृति –**

1) नियंत्रण प्राधिकारी, आवेदन प्राप्त करने के पश्चात नियम 8 के उप नियम (1) के तहत सभी औपचारिकताएँ पूरी करने तथा आवदेक की उपयुक्तता के बारे में तथा जिस क्षेत्र में संचालन के लिए आवदेन किया है, के लिए लाइसेंस स्वीकृत करने की आवश्यकता पर भी खुद संतुष्ट होने के पश्चात फार्म VI में निजी सुरक्षा एजेंसी के लाइसेंस स्वीकृत करेगा ।

2) नियंत्रण प्राधिकारी या तो खुद से अथवा अपने अधिकारियों के माध्यम से किसी निजी सुरक्षा एजेंसी के निजी सुरक्षा गार्डों तथा पर्यवेक्षाकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण तथा कौशलों का निरीक्षण कर सकता है ।

3) नियंत्रण प्राधिकारी ऐसी सुरक्षा एजेंसियों जो आवश्यक प्रशिक्षण सुनिश्चित करने की शर्तो पर दृढ़ नहीं हैं, के लाइसेंस को जारी रखने अथवा अन्यथा के लिए समीक्षा कर सकते हैं ।

10. **लाइसेंस स्वीकृत करने के लिए शर्तें –**

1) लाइसेंस धारी को नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अनुसार और उनके द्वारा तैयार समय सीमा के भीतर निजी सुरक्षा सेवा संबंधी प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा ।

2) लाइसेंस धारी को नियंत्रण प्राधिकारी से लाइसेंस प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर नाम, माता–पिता का नाम, जन्म तिथि, स्थाई पता, पत्राचार के लिए पता तथा बनाए गए एजेंसी के प्रत्येक व्यक्ति के मूल व्यवसाय के बारे में बताना होगा ।

3) लाइसेंस धारी को गठित एजेंसी के व्यक्तियों के पते में किसी प्रकार का परिवर्तन होने तथा प्रबंधन में परिवर्तन के बारे में ऐसे परिवर्तन की तिथि से सात दिनों के भीतर नियंत्रण प्राधिकारी को बताना होगा ।

4) लाइसेंस धारी को निजी सुरक्षा एजेंसी के रूप में अपने कार्यों के निष्पादन के दौरान गठित एजेंसी के व्यक्तियों के खिलाफ अथवा निजी सुरक्षा गार्ड अथवा एजेंसी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक अथवा कर्मचारी के खिलाफ कोई आपराधिक आरोप के बारे में नियंत्रण प्राधिकारी को तत्काल सूचित करना होगा । ऐसी सूचना की एक प्रति उस पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी को भी देनी होगी जहाँ आरोपित व्यक्ति रहता है ।

14. **एजेंसी द्वारा रख रखाव किया जाने वाला रजिस्टर** – एजेंसी द्वारा अधिनियम के तहत रख रखाव किए जाने वाला अपेक्षित रजिस्टर फार्म VIII में होना चाहिए ।

15. **फोटो पहचान पत्र** –

1) धारा 17 की उप धारा 2 के तहत एजेंसी द्वारा जारी प्रत्येक फोटो पहचान पत्र फार्म IX में होना चाहिए ।

2) फोटो पहचान पत्र में निजी सुरक्षा गार्ड का रंगीन फोटो, पूरा नाम, एजेंसी का नाम तथा व्यक्तिगत पहचान संख्या और किसने पहचान पत्र जारी किया है, की पूरी जानकारी होनी चाहिए ।

3) फोटो पहचान पत्र में एजेंसी में व्यक्तिगत की स्थिति तथा फोटो पहचान पत्र की वैधता की तिथि साफ–साफ दर्शानी होगी ।

4) फोटो पहचान पत्र को अद्यतन बनाए रखना होगा और विवरण में किसी प्रकार के परिवर्तन को उसमें दर्ज करना होगा ।

5) निजी सुरक्षा गार्ड को जारी किए गए फोटो पहचान पत्र को जारी करने वाले एजेंसी को लौटाना होगा यदि उसे और एक बार से अधिक नहीं लिया जाता अथवा नियुक्ति नहीं किया जाता हो ।

6) फोटो पहचान पत्र के खो जाने अथवा चोरी हो जाने पर उसकी जानकारी तत्काल जारी करने वाले एजेंसी को देनी होगी ।

16. **अन्य शर्तें** –

1) एजेंसी अधिदेशों के न होते हुए भी उनके निजी सुरक्षा गार्डों को वर्दी पहननी होगी चाहे वह ड्यूटी पर हो या न हो । प्रत्येक निजी सुरक्षा एजेंसी को वर्दी जारी करनी होगी और उसे अपने सुरक्षा गार्डों को निम्नलिखित अनुसार पहनने के लिए बाध्यकर बनाना होगा :–

   क) एजेंसी की पहचान वाले आर्म बैज;

   ख) संगठन मे उसकी स्थिति दर्शाता शोल्डर अथवा चेस्ट बैज दर्शाना होगा;

   ग) सीटी रस्सी से लगा सीटी और उसे बांयी जेब में रखना होगा;

   घ) आइलेट तथा लेस वाले जूते;

   ड.) हैड गियर जिसमें भी एजेंसी की पहचान वाले मार्क होना चाहिए ।

2) ड्यूटी पर रहने के दौरान निजी सुरक्षा गार्ड द्वारा पहने कपड़े ऐसे होने चाहिए कि उसके दक्ष कार्य निष्पादन में कोई बाधा न पहुँचे । विशेषरूप से वह न तो ज्यादा